

व्यवसाय एवं वाणिज्यिक क्रियाएं

व्यवसाय की अवधारणा भारत के लिए कोई नई नहीं है। आज के समृद्ध समझे जाने वाले देश अमेरिका और ब्रिटेन का इतिहास 700–800 वर्षों से ज्यादा पुराना नहीं है जबकि उससे पूर्व भारतीय व्यापारी समुद्र मार्ग से सुदूर देशों में माल लेकर जाया करते थे तथा विनिमय में स्वर्ण लेकर आते थे। भारत एक उत्पादक व व्यावसायिक देश होने के कारण व्यापार विनिमय में लाये गये स्वर्ण को अपने आस्था के केन्द्र मन्दिरों को स्वर्णजड़ित बनाते थे। उसी से आकर्षित होकर पश्चिम के लुटेरों ने भारत के इन स्वर्ण मन्दिरों को लूटने का उद्देश्य बनाया। सोमनाथ (गुजरात) का स्वर्ण निर्मित मन्दिर इसका उदाहरण है। ढाका की मलमल, भारत की लोहे की ढलाई, स्वर्ण आभूषण व अद्भुत भवन स्थापत्य कला का विश्व में कोई सानी नहीं है। भारत जो कि एक निर्यातक देश हुआ करता था, सैकड़ों सालों की गुलामी के कारण व्यवसाय की दृष्टि से एक कमजोर राष्ट्र बन गया, यद्यपि हालांकि आजादी के पश्चात् भारत ने आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

मनुष्य अपने तथा अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए अर्थात् धनार्जन करने के लिए अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ करता है। ऐसी समस्त क्रियाओं को हम व्यवसाय कह सकते हैं। हम मानवीय क्रियाओं को दो वर्गों में बांट सकते हैं।—

(अ) गैर आर्थिक क्रियाएँ— वह कार्य जिनका अर्थोपार्जन से सम्बन्ध नहीं होता है अर्थात् जो कार्य आपसी सम्बन्ध, सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्य, देशप्रेम आदि भावनाओं से प्रेरित होकर किये जाते हैं, गैर आर्थिक कार्य कहलाते हैं। जैसे— एक गृहणी द्वारा अपने परिवार के लिए भोजन बनाना, अपने बच्चों को पढ़ाना, जबकि वही गृहणी किसी विद्यालय में शिक्षिका है तो उसे उस कार्य का पारिश्रमिक मिलेगा और वह उसकी आर्थिक क्रिया कहलाएगी। समाज, जनता की भलाई के निमित्त निःशुल्क कार्य करना गैर-आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं।

(ब) आर्थिक क्रियाएँ— वह सभी कार्य जो मनुष्य द्वारा धन

कमाने के उद्देश्य से किये जाते हैं, आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं।

आर्थिक क्रियाओं में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण से सम्बंधित होता है। फेक्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन करना, वहां से थोक व्यापारी द्वारा खुदरा व्यापारियों को माल बेचना तथा खुदरा (फुटकर) व्यापारियों द्वारा सीधे ग्राहकों को माल बेचना, उत्पादन से लेकर ग्राहकों को माल बेचने तक विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है। उन सेवाओं के बदले उनको वेतन, कमीशन, लाभ आदि के रूप में धन की प्राप्ति होती है। उदाहरणार्थ अध्यापक द्वारा विद्यालय में पढ़कर अपना वेतन लेना आदि सभी आर्थिक क्रियाओं में आता है।

आर्थिक क्रियाओं को हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं—

1. वृत्ति एवं पेशा— अपने विशिष्ट अध्ययन से प्राप्त योग्यता के आधार पर अपनी व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध करवाना तथा अपने द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के बदले शुल्क लेना वृत्ति एवं पेशा कहलाता है। जैसे— डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि अपनी विशिष्ट सेवाओं को प्रदान करते हैं तथा उसके बदले शुल्क या फीस लेते हैं।

2. नौकरी अथवा रोजगार— व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन—यापन के लिए अपनी सेवायें प्रदान करना नौकरी अथवा मजदूरी करना कहलाता है। नियोक्ता (नौकरी देने वाला) के साथ किये गये समझौते अथवा सेवा नियमों के अन्तर्गत व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करना अथवा अपनी दी गयी सेवाओं के बदले में नियोक्ता से वेतन अथवा मजदूरी के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करना, नौकरी अथवा मजदूरी करना कहलाता है। जैसे— विद्यालय में शिक्षण कार्य करना, अस्पताल में डॉक्टर व नर्स, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में कार्य करना, कारखाने में मजदूर का मजदूरी करना, भवन निर्माण आदि कार्यों में मजदूरी करना है।

3. व्यवसाय— व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया के रूप में

परिभाषित किया जाता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय तथा सेवाओं को प्रदान करना सम्मिलित है। उपर्युक्त व्यावसायिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य समाज में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करके धन का अर्जन करना है।

अतः व्यवसाय को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है— “व्यवसाय के अन्तर्गत वे समस्त वैध मानवीय आर्थिक क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के नियमित उत्पादन एवं वितरण के लिए की जाती हैं तथा जिनका उद्देश्य पारस्परिक हित एवं सामाजिक संतुष्टि है, जिसके परिणामस्वरूप समाज के जीवन स्तर में वृद्धि होती है।”

4. व्यवसाय की विशेषताएं— सामान्यतया व्यवसाय की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं—

(i) मानवीय आर्थिक क्रियाएं— व्यवसाय में केवल मनुष्य द्वारा वैध तरीके से धन कमाने के उद्देश्य से की गई समस्त आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। धनोपार्जन क्रियाएं मनुष्य द्वारा ही की जा सकती हैं, पशु-पक्षियों द्वारा नहीं की जा सकती हैं। बिना धन कमाने के उद्देश्य से की गई सेवाओं को अनार्थिक क्रियाएँ कहते हैं, जैसे— साधु-सन्यासियों, धर्म-प्रचारकों द्वारा की जाने वाली सेवाएं, गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन करवाना व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता है।

(ii) वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन— बाजार में उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न उत्पादन इकाइयों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करना तत्पश्चात् व्यापारियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का क्रय कर उनको ग्राहकों को विक्रय करना आदि है। जैसे— फ्रिज, कपड़े, टी.वी. गहने, मोटर साइकिल, कार आदि वस्तुओं का उत्पादन करना तथा परिवहन, बैंक, बीमा, संचार आदि द्वारा सेवाएं प्रदान करना है।

(iii) वस्तुओं और सेवाओं का नियमित रूप से विनिमय— व्यवसाय के अन्तर्गत वस्तुओं और सेवाओं का नियमित विनिमय व वितरण होते रहना चाहिए। जैसेकि बाजार में व्यापारी लोग नियमित रूप से अपनी दुकान या फैक्ट्री में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार

करते हैं। यदि कोई व्यक्ति विशेष अपना पुराना टी.वी. बाजार में बेचता है तो इसे हम व्यापार नहीं कह सकते हैं।

(iv) व्यवसाय की निरन्तरता— बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार प्रतिदिन नियमित रूप से किया जाता है, वही व्यवसाय कहलाता है। कोई व्यक्ति कभी—कभार किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन एवं वितरण करे, उसे हम व्यवसाय नहीं कह सकते हैं।

(v) लाभ अर्जन करना व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य होता है— व्यवसाय या विनिमय का अर्थ है किसी प्रतिफल के बदले वस्तु एवं सेवा का उत्पादन, क्रय-विक्रय करना तथा उससे लाभ प्राप्ति करना। बिना लाभ की कामना के उसे व्यवसाय नहीं कह सकते हैं। बिना लाभ के व्यवसाय निरन्तर रूप से नहीं चलाया जा सकता है।

(vi) प्रतिफल की अनिश्चितता— इसका अभिप्राय व्यवसाय में एक निश्चित समय में होने वाले लाभ की अस्थिरता से है। प्रत्येक व्यवसाय के परिचालन में व्यवसायी कुछ धन (पूँजी) का विनियोग लाभ प्राप्ति के लिए करता है लेकिन यह निश्चित नहीं होता है कि उसे कितना लाभ प्राप्त होगा अथवा हानि होगी। अतः व्यवसाय में लाभ की अनिश्चितता बनी रहती है।

(vii) वैधानिकता— अवैधानिक तरीके से की जाने वाली व्यावसायिक क्रियाएं व्यवसाय नहीं कहलायी जा सकतीं, जैसे— चोरी, सट्टा, तस्करी, कालाबाजारी करके धन अर्जन करना। उपरोक्त क्रियाएं अवैधानिक हैं।

(viii) जोखिम की विद्यमानता— जोखिम का अर्थ है लाभ प्राप्ति की अनिश्चितता। अर्थात् व्यवसाय में हानि होने की भी संभावना रहती है, जिसे हम जोखिम कहते हैं और बिना जोखिम की कल्पना किये लाभ प्राप्ति नहीं होती है।

व्यवसायी व्यवसाय लाभ अर्जन के लिए करता है। परन्तु बाजार में जोखिम हमेशा विद्यमान रहता है। जैसे ग्राहकों की पसंद, फैशन परिवर्तन, उत्पादन

विधियों में परिवर्तन, फैक्ट्री में हड़ताल, तालाबंदी, बाजार प्रतिस्पर्धा, आग, चोरी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाएं आदि।

(ix) सामाजिक परिवर्तन का साधन— व्यवसाय की सहायता से लोगों के जीवन निर्वाह के साधनों में वांछित परिवर्तन करके उनके जीवन स्तर को उन्नत किया जा सकता है तथा उनके विचारों को समाज की आवश्यकता के अनुरूप किया जा सकता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् पश्चिमी देशों में हुई औद्योगिक क्रान्ति से अनेक सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन देखने को मिले हैं।

(x) उपयोगिता का सृजन— जिस प्रकार एक कहावत प्रचलित है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी प्रकार व्यावसायिक क्रियाओं के माध्यम से जनता के बीच वस्तुओं की उपयोगिता का सृजन किया जाता है। उदाहरणार्थ—मोबाईल फोन के आविष्कार से पूर्व भी लोगों में संदेश व संचार का कार्य होता था परन्तु मोबाईल फोन के आविष्कार से जनता के बीच उसकी उपयोगिता का सृजन हुआ और आज मोबाईल फोन तथा उस माध्यम से संचार सेवा प्रदाताओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ी है।

5. व्यवसाय का उद्देश्य— मनुष्य द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, चाहे वह क्रिया आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो अथवा राजनैतिक। व्यवसाय लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता है तथा व्यवसायी स्वयं भी यह दर्शाते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या वितरण करने में उनका मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना ही है। समस्त व्यवसाय की लागत से अधिक कमाने का व्यवसायियों का प्रयास रहता है। दूसरे शब्दों में, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है जो कि लागत व आगम का आधिक्य है। यद्यपि व्यवसाय की सफलता के लिए लाभ महत्वपूर्ण है फिर भी वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में लाभ अर्जित करने के एकमात्र उद्देश्य को लेकर व्यवसाय लम्बे समय तक नहीं किया जा सकता है परन्तु आज के युग में यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है कि व्यावसायिक इकाइयां समाज का एक अंग हैं

और उनके कुछ उद्देश्य सामाजिक उत्तरदायित्वों सहित होने चाहिए ताकि वह जनता का विश्वास अर्जित कर लम्बे समय तक चल सके तथा प्रगति कर सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाभ अग्रणी उद्देश्य होता है लेकिन एकमात्र नहीं।

(अ) लाभ उद्देश्य— प्रत्येक व्यवसाय का यह प्रयत्न होता है कि जो भी उसने निवेश किया है उससे अधिक प्राप्त किया जाये। लागत से आगम का आधिक्य लाभ कहलाता है। लाभ व्यवसाय का विभिन्न कारणों से एक आवश्यक उद्देश्य माना जाता है, अर्थात्—

- (i) यह व्यवसायी के लिए आय का स्रोत है।
- (ii) यह व्यवसाय के विस्तार के लिए आवश्यक वित्त का स्रोत है।
- (iii) यह व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का द्योतक है।
- (iv) यह व्यवसाय का समाज के लिए उपयोग होने की स्वीकारोक्ति भी हो सकता है तथा
- (v) यह एक व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है।

(ब) सेवा उद्देश्य— वर्तमान ग्राहकोन्मुखी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को पूर्ण संतुष्टि के साथ सेवाएं उपलब्ध करवाना ही व्यावसायिक सफलता का आधार है। इस हेतु व्यवसायी लाभ के स्थान पर सेवा उद्देश्य को अधिक महत्व देने लगे हैं। पीटर एफ. ड्रकर के अनुसार, “ग्राहक को संतुष्ट करना प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य है।” इस प्रकार ग्राहक को संतुष्टि प्रदान कर उचित लाभ कमाना ही सेवा उद्देश्य है। इसकी पूर्ति हेतु की जाने वाली प्रमुख क्रियाएं निम्न हैं—

- (i) ग्राहकों को आवश्यकतानुसार वस्तुएं प्रदान करना।
- (ii) उचित मूल्य पर उन्नत किस्म की वस्तुएं उपलब्ध करवाना।
- (iii) मुनाफाखोरी व अनुचित व्यवहार न करना।
- (iv) विक्रय पश्चात् सेवाएं प्रदान करना।
- (v) मिथ्या व भ्रमित करने वाले विज्ञापन नहीं देना।
- (vi) नव प्रवर्तन अथवा नवाचार करना।

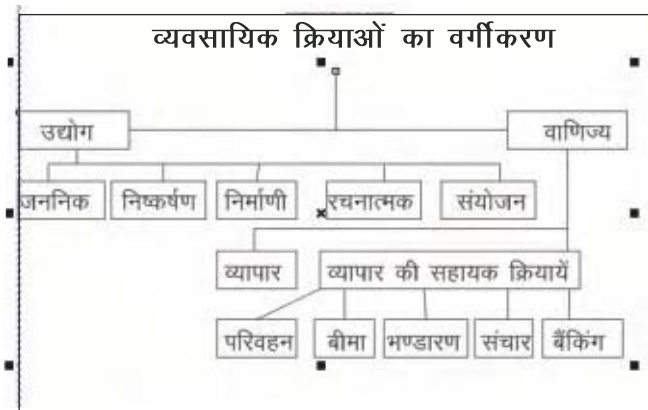
(स) मानवीय उद्देश्य— व्यवसाय के दौरान अनेक मानवीय समूहों से व्यवसायी का काम पड़ता है। उन सभी के प्रति उचित व्यवहार रखते हुए उनके हितों की रक्षा करना एवं उनमें उचित

सामंजस्य स्थापित करना ही मानवीय उद्देश्य है। मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएँ इस प्रकार हैं—

- (i) राष्ट्रीय हितों व प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना।
- (ii) पर्याप्त वेतन एवं अच्छी कार्यदशा प्रदान करना।
- (iii) श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- (iv) श्रमिकों की समस्याओं का यथाशीघ्र निपटारा करना।
- (v) कर्मचारियों को पदोन्नति तथा विकास के अवसर प्रदान करना।
- (vi) निवेशकर्ताओं के लिए उचित लाभ की व्यवस्था करना।
- (vii) विनियोजित धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- (viii) पूर्तिकर्ताओं के प्रति सहयोगी होना एवं उनके उत्पाद का उचित मूल्य देना।
- (ix) अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना।
- (x) श्रमिकों व कर्मचारियों के प्रति मानवीय व्यवहार करना।

6. व्यवसाय का क्षेत्र

व्यवसाय एक विस्तृत शब्द है। वे सभी क्रियाएँ जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण से सम्बन्ध रखती हैं, उन्हें व्यवसाय के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है।



इस प्रकार व्यावसायिक क्रियाओं को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में उत्पादन से सम्बंधित क्रियाओं को उद्योग तथा द्वितीय वर्ग में क्रय-विक्रय एवं वितरण सम्बन्धी क्रियाओं को वाणिज्य कहा जाता है।

(I) उद्योग— उद्योग का आशय उन व्यावसायिक क्रियाओं से है जिनके द्वारा भौतिक संसाधनों के प्रयोग से आवश्यकताओं की

पूर्ति करने वाली वस्तुओं का उत्पादन होता है। उद्योग प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए उनके रूप में परिवर्तन कर उन्हें उपभोग योग्य बनाते हैं। इस प्रकार औद्योगिक क्रियाओं का उद्देश्य वस्तुओं को उस रूप में उपलब्ध कराना है जिस रूप में वे उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों के अनुकूल सिद्ध हो सकें जिससे ग्राहक उन वस्तुओं का उपयोग करेंगे। अतः उद्योग उपयोगिता का सृजन करते हैं। कार्य की प्रकृति के आधार पर हम उद्योगों का निम्नानुसार वर्गीकरण कर सकते हैं—

(क) जननिक उद्योग— इस वर्ग में उन उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है, जिनका सम्बन्ध उत्पत्ति से होता है, जैसे—कृषि, बागवानी, पशु-पालन, मत्स्य-पालन, मुर्गी-पालन, वन संवर्धन आदि।

(ख) निष्कर्षण उद्योग— इस वर्ग में उन उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है जिनका सम्बन्ध प्राकृतिक संसाधनों, जैसे भूमि, वन, जल आदि से विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त करना होता है, जैसे—खनन द्वारा भूमि से कोयला, लोहा, तांबा, खनिज, तेल, गैस आदि निकालना, समुद्र से मछली पकड़ना, वन सम्पदा का दोहन कर लकड़ी, जड़ी-बूटियाँ, लाख, गोंद, रबर आदि एकत्र करना आदि निष्कर्षण उद्योग की श्रेणी में आते हैं।

(ग) निर्माणी उद्योग— इस वर्ग में उन उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है जो कच्चे माल और अर्द्धनिर्मित माल को पक्के माल में रूपान्तरित कर उपभोग योग्य बनाते हैं, जैसे—गन्ने से चीनी बनाना, सूत से कपड़ा बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना आदि। सीमेन्ट उद्योग, कागज उद्योग, साबुन उद्योग, जूट उद्योग आदि भी निर्माणी उद्योग के उदाहरण हैं।

(घ) रचनात्मक उद्योग— इस वर्ग में उन उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है जो साधनों को मानवहित के लिए अधिक उपयोगी एवं सुविधाजनक बना देते हैं जैसे—सड़क, पुल, नहर, बांध, भवन आदि का निर्माण करना। रचनात्मक उद्योगों के उत्पाद सामान्यतः स्थायी होते हैं। एक निश्चित स्थान पर ही इनका निर्माण या संरचना की जाती है।

(ड) संयोजन उद्योग—इस वर्ग में वे उद्योग आते हैं जिनमें छोटे-बड़े कलपुर्जे जोड़कर उपयोग योग्य उत्पाद का निर्माण किया जाता है, जैसे—कम्प्यूटर, कार, घड़ी आदि।

उद्योग के उदाहरण

जननिक	निष्कर्षण	निर्माणी	रचनात्मक	संयोजना
कृषि	खनन	चीनी	सड़क	कम्प्यूटर
बागवानी	मछली पकड़ना	सीमेंट	पुल	कार
पशुपालन	वन सम्पदा	कपड़ा	नहरें	स्कूटर
मत्स्य पालन	का दोहन	लोहा	बांध	घड़ी
वन संवर्द्धन	शिकार करना	जूट	भवन	

(ii) वाणिज्य

औद्योगिक क्रियाओं का सम्बन्ध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं के उत्पादन से होता है। उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उचित स्थान व समय पर, उचित ढंग से, उचित मात्रा में, उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं एवं ग्राहकों तक पहुंचाने के कार्य वाणिज्य करता है। इस प्रकार वाणिज्य का सम्बन्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण से है। निर्मित माल को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में कई बाधाएँ आती हैं, जैसे—समय, स्थान, जोखिम, सूचना वित्त आदि। वाणिज्य द्वारा उत्पादित वस्तुओं के उपभोक्ताओं तक निरन्तर एवं निर्विघ्न प्रवाह हेतु की जाने वाली सभी क्रियाएँ वाणिज्य में सम्मिलित की जाती हैं। वाणिज्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

- वाणिज्य उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करता है।
- वाणिज्य वितरण सम्बन्धी बाधाओं को दूर कर वस्तुओं के विनिमय को सुगम बनाता है।
- वाणिज्य द्वारा समय, स्थान एवं अधिकार उपयोगिताओं का सृजन होता है।
- वाणिज्य में व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं।

अतः वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है। वाणिज्य से सम्बंधित सभी क्रियाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(क) व्यापार (ख) व्यापार की सहायक क्रियाएं।

(क) व्यापार — लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय-विक्रय को व्यापार कहा जाता है किन्तु वर्तमान प्रतिस्पर्धा

के युग में ऐसे क्रय-विक्रय का उद्देश्य पारस्परिक हित होना चाहिए। अतः व्यापार के आशय वस्तुओं के ऐसे क्रय-विक्रय से है जो क्रेता एवं विक्रेता दोनों के पारस्परिक हित के लिए किया जाता है। व्यापार द्वारा स्वामित्व या अधिकार उपयोगिता का सृजन होता है तथा व्यापार में संलग्न व्यक्ति को व्यापारी के नाम से जाना जाता है। व्यापार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

- व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय सम्मिलित है।
- व्यापार का उद्देश्य क्रेता एवं विक्रेता का पारस्परिक हित होता है।
- व्यापार में वस्तुओं व सेवाओं का विक्रय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से (मध्यस्थों द्वारा) किया जा सकता है।
- व्यापार द्वारा अधिकार उपयोगिता का सृजन होता है।
- व्यापार वाणिज्य का अंग है।

(ख) व्यापार की सहायक क्रियाएं— वे सभी कार्य जो वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायता करते हैं, व्यापार की सहायक क्रियाओं के अन्तर्गत आते हैं। ये कार्य परिवहन, भण्डारण, बीमा, बैंकिंग, संचार, विज्ञापन आदि सेवाओं के माध्यम से सम्पन्न किये जाते हैं। इन सभी क्रियाओं द्वारा व्यवसाय में स्थान व समय उपयोगिताओं का सृजन होता है।

व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग में अन्तर

अन्तर का आधार	व्यापार	वाणिज्य	उद्योग
अर्थ	वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रतिफल को बदले क्रय-विक्रय व्यापार कहलाता है।	व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाएँ वाणिज्य के अन्तर्गत आती हैं।	वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को उद्योग कहते हैं।
उद्देश्य	वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय करना।	वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय में आने वाली बाधाओं को दूर करना।	वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना।
क्षेत्र	व्यापार का क्षेत्र सीमित है। इसमें केवल वस्तुओं का क्रय-विक्रय ही सम्मिलित होता है।	वाणिज्य का क्षेत्र व्यापक है। इसमें व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है।	उद्योग में सभी तरह की उत्पादन सम्बन्धी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है।
उपयोगिता का सृजन	अधिकार उपयोगिता का सृजन होता है।	समय, स्थान एवं अधिकार उपयोगिताओं का सृजन होता है।	रूप उपयोगिता का सृजन होता है।
परस्पर निर्भरता	व्यापार का आधार उद्योग होता है।	वाणिज्य का आधार व्यापार होता है।	उद्योग का आधार वाणिज्य होता है।

बैंक वह संस्था है जो मुद्रा एवं साख का व्यवसाय करती है। बैंक लोगों की जमाएं स्वीकार करती है तथा ऋण देने व कटौती की सुविधा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में ग्राहकों की सुविधा का ध्यान में रखते हुए उनकी ओर से अभिकर्ता सम्बंधी कार्य करती है। आज इन्टरनेट बैंकिंग द्वारा किसी भी स्थान से अपने खाते का संचालन किया जा सकता है तथा 24 घंटे बैंकिंग अर्थात् एटीएम मशीन से 24 घंटे में कभी भी ग्राहक पैसा निकाल सकता है तथा जमा करवा सकता है।

भारतीय बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अनुसार, "बैंक कम्पनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे।" बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने या निवेश के लिए जनता से धन के रूप में जमा करना है, जो मांग पर देय होगा तथा चैक, ड्राफ्ट या किसी अन्य प्रकार से निकाला जा सकेगा।

1. बैंक के कार्य—

(अ) प्राथमिक कार्य— बैंक इन दो कार्यों के रूप से जाने जाते हैं, जो कि प्रत्येक बैंक को अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं—

(क) जमाएं स्वीकार करना तथा (ख) ऋण देना

(क) जमाएं स्वीकार करना— आधुनिक बैंकों का एक प्रमुख कार्य जनता से निक्षेप या जमाएं प्राप्त करना है। समाज के विभिन्न वर्ग जो बचत करते हैं, उसे वे बैंकों में जमा करवा देते हैं। इस प्रकार जनता के धन की सुरक्षा भी हो जाती है तथा उन्हें अपनी जमाओं पर कुछ ब्याज भी प्राप्त हो जाता है तथा जनता जो धन बैंकों में जमा करवाती है, बैंक उसको देश के निर्माण में विभिन्न प्रकार से विनियोग करते हैं। इस प्रकार जनता में बचत की आदतें डालते हैं तथा देश में पूंजी निर्माण कर आर्थिक विकास में मदद करते हैं। व्यापारिक बैंक निम्न खातों द्वारा धनराशि जमा कराने की सुविधा प्रदान करते हैं—

(I) सावधि जमा खाता— इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए धन जमा कराया जाता है। जमा अवधि ग्राहक अपनी सुविधानुसार निर्धारित करता है तथा बैंक इस पर अधिक मात्रा में ब्याज देती है। सामान्यतया सावधि जमा खाते में जमा राशि देय तिथि को मिलती है। जमाकर्ता की सुविधा के लिए बैंक सावधि जमा की जमानत पर ऋण भी प्रदान करता है तथा ब्याज की दर में कुछ कटौती कर देय तिथि से पूर्व जमा धन निकालने की सुविधा भी प्रदान करता है।

(ii) बचत बैंक खाता— यह खाता अल्प एवं मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी होता है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी छोटी-छोटी बचतों को बैंक में जमा करवा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वापस निकाल सकता है। इस खाते में जमा धन पर कम मात्रा में ब्याज भी मिलता है तथा जनता में बचत की भावना को भी प्रोत्साहन मिलता है।

(iii) चालू खाता— यह खाता सामान्यतया व्यापारी वर्ग के लिए उपयोगी होता है। इस खाते में किसी भी कार्य दिवस को कितनी भी बार धन जमा करवाया जा सकता है तथा धन निकाला जा सकता है। इस खाते में जमा रकम मांग पर देय होती है। इसलिए इस खाते पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है। इस पर बैंक अधिविकर्ष की सुविधा भी प्रदान करता है।

(iv) आवर्ती जमा खाता— यह खाता मुख्य रूप से उन जमाकर्ताओं के लिए है जो अपनी छोटी-छोटी बचतों के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए एकमुश्त राशि प्राप्त करना चाहते हैं। यह खाता खोलने वाले व्यक्ति को एक निश्चित रकम निश्चित अन्तराल से नियमित जमा करवानी पड़ती है। इस खाते की अवधि 1 वर्ष से 10 वर्ष की हो सकती है।

(v) अन्य बचत खाते — व्यापारिक बैंकों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप गृह बचत खाता, प्रतिदिन बचत जमा योजना, मासिक ब्याज आय जमा योजना, अवयस्क बचत योजना, कृषि जमा योजना आदि हैं।

(ख) ऋण देना— बैंकों का दूसरा प्रमुख कार्य ऋण देना है। बैंक के पास जो धन जमाकर्ताओं से प्राप्त होता है, वह उसे व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा अन्य लोगों को उधार देता है। बैंक अपने द्वारा दिये ऋण पर अपने जमाकर्ताओं को दिये जाने वाले ब्याज से अधिक दर से ब्याज वसूल करता है। इन्हीं ब्याज दरों का अन्तर बैंक का लाभ होता है। बैंक द्वारा ऋण सुविधा निम्न प्रकार दी जाती है—

(I) नकद साख— इस पद्धति के अन्तर्गत बैंक प्रार्थी के लिए ऋण लेने की एक सीमा निर्धारित कर देता है। बैंक यह ऋण सामान्यतः व्यापारियों की जमानत पर स्वीकृत करता है। व्यापारी अपनी आवश्यकतानुसार जब चाहे निर्धारित

सीमा तक राशि बैंक से निकाल सकता है। ब्याज केवल निकाली गयी राशि पर ही वसूल किया जाता है।

(ii) अधिविकर्ष— बैंक में चालू खाता रखने वाले व्यापारियों को उनके खाते से जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा अधिविकर्ष कहलाती है। यह सुविधा बैंक द्वारा अल्पकाल तथा आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दी जाती है। अधिविकर्ष की सीमा का निर्धारण व्यापारी की साख पर निर्भर होता है।

(iii) ऋण एवं अग्रिम — बैंक द्वारा ऋण देने का यह सामान्य रूप है। बैंक प्रार्थी को उचित जमानत के आधार पर ऋण स्वीकृत कर उस राशि को एक पृथक ऋण खाते में जमा कर देता है। ऋण स्वीकृत करते समय ही बैंक व प्रार्थी के मध्य ब्याज की दर एवं भुगतान की शर्तें तय हो जाती हैं। निर्धारित समय अवधि में ऋण का भुगतान न होने पर जमानत में रखी सम्पत्ति बेचकर रकम वसूल करने का अधिकार बैंक के पास होता है। ऋण पर ब्याज की दर ऋण के उद्देश्य, अवधि, जमानत तथा ग्राहक के व्यवसाय पर निर्भर करती है।

(iv) विनिमय विपत्रों की कटौती— इस विधि के अन्तर्गत बैंक सावधि विनिमय विपत्रों का बिल की तिथि से पूर्व ही भुगतान कर व्यापारियों को साख सुविधा प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिए बैंक कुछ बट्टा (छूट) लेते हैं जो उस अवधि के ब्याज के बराबर होता है।

आ. अभिकर्ता सम्बन्धी कार्य:— बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए अपने ग्राहक के अभिकर्ता के रूप में भी अनेक कार्य करता है, जो निम्नलिखित हैं—

i. बैंक विनिमय विपत्र आदि का संग्रहण— बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा करवाये गये बैंक, विनिमय विपत्र, ड्राफ्ट, प्रतिज्ञापत्र, हुण्डी आदि का संग्रहण कर ग्राहक के खाते में जमा करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस कार्य के लिए बैंक निर्धारित शुल्क लेता है।

ii. बैंक विनिमय विपत्र आदि का भुगतान — बैंक अपने ग्राहकों द्वारा लिखे गये बैंकों का भुगतान करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से बिल स्वीकार करने एवं उनका भुगतान करने का कार्य भी करते हैं।

iii. ग्राहक के आदेशानुसार भुगतान करना— बैंक ग्राहक के स्थायी आदेश के अन्तर्गत उसकी ओर से

बीमा प्रीमियम, मकान किराया, ब्याज, ऋण की किश्त, टेलिफोन बिल, कर आदि का भुगतान करते हैं।

iv. धन प्रेषण सुविधा— बैंक अपने ग्राहकों का धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह सुविधा ड्राफ्ट, डाक व तार अन्तरण द्वारा तथा ऑनलाईन बैंकिंग द्वारा सैकण्डों में धन का अन्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है।

v. प्रतिभूतियों का क्रय—विक्रय— बैंक अपने ग्राहकों की ओर से अंशों, ऋणपत्रों, सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय—विक्रय भी करते हैं।

vi. प्रन्यासी एवं प्रबन्धक के रूप में कार्य —ग्राहक के आदेश पर बैंक उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था, विभाजन एवं प्रबन्धन हेतु प्रन्यासी, प्रबन्धक एवं निष्पादन का कार्य भी करते हैं।

vii. प्रतिनिधि सम्बन्धी कार्य— बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनके लिए पासपोर्ट, विदेश यात्रा हेतु विनिमय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य भी करते हैं।

viii. एटीएम मशीन द्वारा 24 घण्टे धन निकासी व जमा करवाने की सुविधा प्रदान करना— आधुनिक युग में बैंकों में धन जमा करवाने व निकालने के लिए बैंक की शाखा में जाकर धन जमा करवाना व निकालने की आवश्यकता नहीं है। बैंक ग्राहकों को उसके जमा खाते पर डेबिट कार्ड तथा खाता नहीं भी हो तो क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है। इस प्लास्टिक के कार्ड से ग्राहक अपने शहर में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण देश में कहीं भी कार्ड के माध्यम से एटीएम मशीन से 24 घण्टे धन निकलवा सकता है तथा जमा करवा सकता है। डेबिट कार्ड के माध्यम से धन निकालने पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता जबकि क्रेडिट कार्ड से धन निकालने पर निश्चित ब्याज चुकाना पड़ता है।

इ. सामान्य उपयोगी कार्य— बैंक अपने ग्राहक के लिए अन्य उपयोगी कार्य भी करता है, जो निम्न हैं—

i. आर्थिक स्थिति की जानकारी देना— कभी-कभी व्यापारी बैंकों से अपने नवीन व्यापारी ग्राहकों की साख के बारे में पूछताछ करते हैं ताकि वह उनके लिए साख सीमा

निर्धारित कर सके। बैंक अपने ग्राहकों के लिए यह जानकारी प्राप्त करते हैं तथा अपने ग्राहक की आर्थिक स्थिति की जानकारी अन्य व्यापारियों को देते हैं।

- ii. **लॉकर्स उपलब्ध करवाना**— ग्राहकों की बहुमूल्य सामग्री जैसे कि आभूषण, महत्वपूर्ण दस्तावेज, प्रतिभूतियाँ आदि सुरक्षित रखने के लिए बैंक ग्राहकों को लॉकर्स या सेफ डिपॉजिट वाल्ट्स उपलब्ध करवाते हैं ताकि ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित रह सकें।
- iii. **यात्री चेक की व्यवस्था**— बैंक अपने ग्राहकों से बहुत ही कम शुल्क लेकर यात्री चेक जारी करते हैं। इससे यात्री को अपनी यात्रा के दौरान नकद धन साथ ले जाने की जोखिम से मुक्ति मिल जाती है।
- iv. **अभिगोपन कार्य**— बैंक व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कम्पनियों के अंश एवं ऋणपत्रों के अभिगोपन का कार्य (अर्थात् यदि बाजार में अंश नहीं खरीदे जाये तो बैंक द्वारा खरीदना) भी करते हैं। इस कार्य के लिए बैंक कमीशन लेते हैं।
- v. **वित्तीय सलाहकार का कार्य** — बैंक अपने ग्राहकों को समय-समय पर वित्तीय एवं आर्थिक विषयों पर परामर्श देने का कार्य भी करते हैं। इस सुविधा से ग्राहकों को अपने व्यवसाय में निर्णय लेने में सुविधा प्राप्त होती है।
- vi. **समाशोधन गृहों की व्यवस्था**— बैंक पारस्परिक भुगतानों के निपटारे के लिए बैंक समाशोधन गृहों के प्रबन्धन का कार्य भी करते हैं।
- vii. **सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना**— व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में सरकार द्वारा जारी ऋण पत्रों की बिक्री की व्यवस्था भी करते हैं।
- viii. **विदेशी विनिमय व्यवस्था**— व्यापारिक बैंक विदेशी व्यापार के लिए साख उपलब्ध करवाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। इस हेतु विदेशी विनिमय बिलों का बट्टा भी करते हैं।
- ix. **आर्थिक सूचनाएं एकत्रित करना तथा उन्हें प्रदर्शित करना**— बैंक अपने देश की आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के सम्बंध में सूचनाएं एकत्र करने एवं प्रकाशित करवाने का कार्य भी करते हैं। इससे व्यापारियों, अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों व शोधार्थियों को भी लाभ होता है।

x. **अन्य सहायक कार्य**— उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त बैंक कुछ अन्य सहायक कार्य जैसे गारण्टी देना, साख प्रमाण पत्र देना, उपहार चेक जारी करना आदि भी करते हैं।

xi. **साख सृजन**— बैंक केवल मुद्रा के व्यापारी ही नहीं बल्कि मुद्रा का निर्माण भी करते हैं। ये जमाओं, व्युत्पन्न जमाओं तथा विनिमय बिलों की कटौती द्वारा साख सृजन करते हैं।

बैंकों के प्रकार

आर्थिक विकास की बढ़ती गति के साथ मुद्रा एवं साख की आवश्यकता में भी वृद्धि हुई है। इस कारण बैंकों के विभिन्न स्वरूप विकसित हुए हैं। बैंकों में भी विशिष्टीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, परिणामस्वरूप कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए साख एवं अन्य सुविधा प्रदान करने हेतु विशेष प्रकार के बैंकों की स्थापना की गयी। कार्य प्रकृति के आधार पर बैंकों के विभिन्न प्रकार निम्नानुसार हैं:-

(i) **केन्द्रीय बैंक**— प्रत्येक देश के बैंकिंग ढांचे में सर्वोच्च संस्था के रूप में केन्द्रीय बैंक होता है। यह बैंक साख का नियमन एवं नियंत्रण, देश की बैंकिंग व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण, नोट निर्गमन तथा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है।

(ii) **व्यापारिक बैंक**— जो बैंक सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं उन्हें व्यापारिक बैंक कहा जाता है। ये बैंक धन जमा करने, ऋण देने, ग्राहक के अभिकर्ता के रूप में उसके धन का प्रेषण करने, चेक, बिल आदि का संग्रहण व भुगतान करने, साख पत्र जारी करने सम्बंधी अनेक कार्य करते हैं। भारत में व्यापारिक बैंक सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। भारत में स्टेट बैंक समूह सहित 27 व्यापारिक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं।

(iii) **सहकारी बैंक**— भारत में सहकारी बैंक विशेष रूप से कृषि साख की आवश्यकता को पूरा करने का कार्य करते हैं। ये बैंक सहकारिता के सिद्धान्त पर कार्य करते हैं। भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर

पर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियाँ कार्यरत हैं। कृषि हेतु दीर्घकालीन साख उपलब्ध करवाने के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीय भूमि विकास बैंक तथा जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक स्थापित किये गये हैं।

(iv) औद्योगिक विकास बैंक— ये बैंक उद्योगों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालीन एवं आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं। ये बैंक प्रबन्धकीय, तकनीकी, विपणन आदि के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। भारत में आजादी के बाद अनेक विकास बैंकों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम 1955, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1985 तथा राज्य स्तर पर राज्य वित्त निगम कार्यरत हैं।

(v) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक— भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में साख आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर, 1975 को की गई। वर्तमान में देश में 516 जिलों में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14000 से अधिक शाखाएँ सक्रिय हैं।

(vi) निर्यात-आयात बैंक— इस बैंक की स्थापना विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गयी। यह निर्यातकों एवं आयातकों को साख-सुविधाएं प्रदान करता है। भारत में निर्यात-आयात बैंक जनवरी, 1982 से कार्यरत है।

(vii) विनियोग बैंक — इन बैंकों का कार्य देश में बिखरी हुई बचतों को एकत्रित कर उसका लाभप्रद विनियोजन करना है। भारत में जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, म्युचुअल फण्ड आदि विनियोग बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(viii) बचत बैंक— पश्चिमी देशों में सामान्य वर्ग के लोगों की छोटी-छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग से बचत बैंक स्थापित किये गये हैं। भारत में व्यापारिक बैंक ही यह कार्य करते हैं।

(ix) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक— द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विभिन्न देशों में बिगड़ी अर्थव्यवस्था को ठीक करने तथा तीव्र आर्थिक विकास हेतु 1944 में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की गई, जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं। इस बैंक की दो सहायक संस्थायें हैं।

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ एवं

(आ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम।

(x) देशी या अनौपचारिक बैंकर्स— देशी या अनौपचारिक बैंकर्स भारत के सभी भागों में पाये जाते हैं। ये कृषि व व्यापार के लिए वित्त व्यवस्था करते हैं। इन्हें महाजन, साहूकार, सराफ आदि नामों से भी जाना जाता है।

बैंकों के प्रमुख प्रलेख

सामान्यतः बैंकिंग व्यवहारों में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले प्रलेख हैं— चैक, बैंक ड्राफ्ट तथा पे ऑर्डर (बैंकर्स चैक)

1. **चैक** — चैक किसी बैंक को दिया गया शर्त रहित लिखित आदेश होता है जिसमें एक निश्चित राशि किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा आदेशित व्यक्ति को अथवा विलेख के वाहक को मांग पर देय होती है।

भारतीय विनियम साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 6 के अनुसार, “चैक एक ऐसा विनियम पत्र है जो किसी विशेष बैंक पर लिखा जाता है और जिसका भुगतान स्पष्ट रूप से मांग किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता है।”

चैक के आवश्यक तत्व—

- चैक सदैव लिखित आदेश होता है, यह कभी भी मौखिक नहीं होता।
- चैक ग्राहक द्वारा स्वयं के बैंक को ही लिखा जाता है।
- चैक में कोई शर्त नहीं हो सकती।
- चैक द्वारा निश्चित राशि का भुगतान होता है जो चैक में लिखी होती है।
- चैक का भुगतान किसी निश्चित व्यक्ति या संस्था को ही होगा जिसका नाम चैक पर लिखा होता है या

उसका आदेशित है। इसका भुगतान वाहक को भी किया जा सकता है

- vi. चैक का भुगतान प्राप्तक के मांगने पर होगा। इसके भुगतान की तिथि ग्राहक द्वारा निर्धारित की जाती है।
- vii. चैक पर ग्राहक के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा इसका मिलान बैंक के नमूने के हस्ताक्षर से होना चाहिए।
- viii. चैक पर खाता संख्या व दिनांक का होना आवश्यक है।
- ix. बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में छपे हुए चैक ही प्रयोग में लाये जाते हैं।

चैक का नमूना



चैक के पक्षकार

(क) आहर्ता या लेखक— आहर्ता वही व्यक्ति हो सकता है जिसका बैंक में खाता हो। बैंक में खाता रखने वाले ग्राहक को ही चैक लिखने व हस्ताक्षर करने का अधिकार होता है।

(ख) आहर्ती या देनदार — आहर्ती सदैव बैंक ही होता है जिस पर ग्राहक चैक लिखता है।

(ग) आदाता या प्राप्तक — जिसके नाम से चैक लिखा जाता है, वह चैक का आदाता होता है। चैक स्वयं के नाम से भी लिखा जा सकता है। यदि चैक का बेचान कर दिया जाता है तो वाहक आदाता होता है। इस प्रकार जो पक्षकार चैक का भुगतान बैंक से प्राप्त करने के लिए अधिकृत होता है, आदाता कहलाता है।

2. बैंक ड्राफ्ट— पक्षकार विनियम साध्य विलेख अधिनियम की धारा 85 (ए) के अनुसार बैंक ड्राफ्ट किसी “बैंक की शाखा द्वारा उसी बैंक की दूसरी शाखा के नाम लिखा गया एक आदेश है, जिसमें लिखी हुई रकम को आदेशानुसार व्यक्ति द्वारा मांगने पर भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।”

बैंक ड्राफ्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन प्रेषण का एक सरल, सुरक्षित एवं मितव्ययी उपाय है जिसे बैंक द्वारा पूरा मूल्य एवं कमीशन प्राप्त करने के बाद जारी किया जाता है।

बैंक ड्राफ्ट के पक्षकार

(क) निर्गमक बैंक — बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक को निर्गमक बैंक कहा जाता है। जो निर्धारित शुल्क या कमीशन लेकर बैंक ड्राफ्ट बनाता है। ड्राफ्ट के माध्यम से निर्गमक बैंक शोधी बैंक को आदेश देता है कि प्रेषक द्वारा ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर उसकी राशि का भुगतान कर दिया जावे।

(ख) क्रेता— जो व्यक्ति ड्राफ्ट बनवाता है, उसे ड्राफ्ट का क्रेता कहा जाता है। क्रेता को कमीशन व ड्राफ्ट की राशि सहित निर्धारित प्रपत्र भरकर निर्गमक बैंक में जमा करवाना होता है।

(ग) आदाता या प्राप्तक— ड्राफ्ट जिस व्यक्ति या संस्था के पक्ष में लिखा जाता है, उसे ड्राफ्ट का आदाता कहते हैं। शोधी बैंक आदाता या प्राप्तक को ड्राफ्ट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

(घ) शोधी बैंक— जिस बैंक को ड्राफ्ट का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, उसे शोधी बैंक कहा जाता है।

बैंक ड्राफ्ट का नमूना



3. पे-ऑर्डर (बैंकर्स चैक)— पे-ऑर्डर बैंक की ओर से स्थानीय ग्राहकों को भुगतान करने के लिए जारी किया जाता है। क्रेता द्वारा पे-ऑर्डर की राशि व कमीशन बैंक में निर्धारित प्रपत्र के साथ जमा करवाने पर बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है जिसका भुगतान उसी बैंक द्वारा पे-ऑर्डर को प्रस्तुत करने पर प्राप्तक को कर दिया जाता है। पे-ऑर्डर पर बैंक ड्राफ्ट के नियम ही लागू होते हैं किन्तु इसका शुल्क बैंक ड्राफ्ट की तुलना में कम होता है।

(आ) बीमा

प्राचीनकाल से ही भारत में मानव के जोखिम की रक्षा हेतु अनेक प्रकार से प्रयास किये जाते रहे हैं। राजा—महाराजाओं व बड़े व्यवसायी भी अपने यहाँ कार्य करने वाले कार्मिकों की सुरक्षा हेतु अनेक उपाय करते थे। उनके कार्य के दौरान अपाहिज, मृत्यु व बुजुर्ग अवस्था होने पर उनके परिवार के पालन—पोषण तथा उनके परिवारजनों को नियुक्ति व आर्थिक सम्बल प्रदान करते थे। अतः मनुष्य उस काल में अपने भविष्य की घटनाओं से सुरक्षा महसूस करता था तथा पूर्ण मनोयोग से कार्य करता था। यह बीमा का प्राचीन रूप ही है।

प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सुख, समृद्धि, सम्पन्नता एवं सुरक्षा चाहता है। वह विपत्ति, दुःख एवं आपदाओं से सुरक्षा चाहता है। अतः वह इन संकटों को कम करने या समाप्त करने के सभी प्रयत्न करता है, किन्तु उसके प्रयास इन घटनाओं के सामने निष्फल हो जाते हैं। इसे विभिन्न आपदाओं के कारण सामान्य से लेकर गम्भीर नुकसान उठाना पड़ जाता है। परिवार के मुखिया या कमाऊ व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को, दुकान या गोदाम में आग लग जाने पर, जहाज डूब जाने पर या चोरी हो जाने पर व्यापारी को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण मानव जीवन व वातावरण अनिश्चितताओं व जोखिमों से भरा पड़ा है। इन्हीं जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता ने ही बीमा को जन्म दिया है।

बीमा संविदा 'परम सद्विश्वास' के सिद्धान्त पर आधारित है। दोनों पक्षों (बीमाकर्ता एवं बीमित) के मध्य पारस्परिक सद्विश्वास के अभाव में बीमा संविदा व्यर्थ हो जाती है।

बीमा की परिभाषा— विभिन्न विद्वानों द्वारा बीमा की जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

सर विलियम बेवरीज के अनुसार “ बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन को कहते हैं।”

न्यायमूर्ति टिण्डल के अनुसार “बीमा एक अनुबन्ध है जिसके अन्तर्गत बीमित बीमाकर्ता को एक निश्चित अंशदान एक निश्चित घटना के घटित होने की जोखिम उठाने के प्रतिफल के रूप में देता है।”

विभिन्न विद्वानों द्वारा बीमा की दी गई इन परिभाषाओं

का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि बीमा एक अनुबन्ध है जिसमें बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमित को किन्हीं पूर्व निर्धारित कारणों से हानि होने पर एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है।

बीमा की विशेषताएं— विभिन्न विद्वानों द्वारा बीमा की दी गई इन परिभाषाओं से इसकी निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं—

(i) बीमा एक अनुबन्ध है— बीमा एक अनुबन्ध है जिसमें बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमित को किन्हीं पूर्व निर्धारित कारणों से हानि होने पर क्षतिपूर्ति करने या एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने का वचन देता है। इसमें दो पक्षकार होते हैं— बीमाकर्ता एवं बीमित।

(ii) क्षतिपूर्ति का साधन— बीमा संकटों से होने वाली आर्थिक हानि का प्रतिकार करने का एक प्रभावी साधन है अर्थात् बीमा क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने का श्रेष्ठ उपाय है। जीवन बीमा पर क्षतिपूर्ति का यह सिद्धान्त लागू नहीं होता है क्योंकि जीवन का मूल्य मौद्रिक रूप में नहीं आंका जा सकता है और उसकी क्षतिपूर्ति भी नहीं की जा सकती है।

(iii) निश्चित सिद्धान्तों पर आधारित— बीमा करते समय कुछ निश्चित सिद्धान्तों को अपनाया जाता है, जिनमें परम सद्विश्वास का सिद्धान्त, बीमा योग्य हित का सिद्धान्त, सहकारिता का सिद्धान्त, आश्वासन सिद्धान्त एवं अंशदान का सिद्धान्त मुख्य हैं।

(iv) शुद्ध जोखिमों के लिए बीमा— बीमा शुद्ध जोखिमों का ही करवाया जा सकता है। अर्थात् शुद्ध जोखिमों से तात्पर्य उन जोखिमों से है जिनमें केवल हानि होने की संभावना होती है, लाभ की नहीं जैसे—मृत्यु, दुर्घटना, अग्नि से उत्पन्न होने वाली हानि आदि।

(v) सहकारिता की भावना— बीमा में 'सब एक के लिए और एक सबके लिए' की भावना निहितार्थ होती है। यह व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास पर आधारित है।

(vi) विज्ञान एवं कला — बीमा में सम्भावितता सिद्धान्त के आधार पर हानि के कारण एवं प्रभावों का अनेक

गणितीय विधियों एवं सांख्यिकीय सूत्रों की सहायता से अंश राशि (प्रिमियम) का निर्धारण किया जाता है, अतः यह एक विज्ञान है। लोगों को जागरूक बनाकर बीमा के प्रति आकर्षित करने व संभावित हानि को किस व्यक्तिगत चातुर्यता से न्यूनतम किया जा सकता है, की प्रबन्ध प्रणाली के कारण बीमा एक कला भी है।

(vii) बीमा जुआ और दान से पृथक्— बीमा एक क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है, जिसमें लाभ नहीं होता है, जबकि जुआ में लाभ के अवसर भी विद्यमान हैं। बीमा जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए करवाया जाता है जबकि जुए में लाभ व हानि तत्त्व विद्यमान हैं। बीमाकर्ता बीमित को जो राशि देता है वह कोई दान के रूप में नहीं देता है बल्कि बीमित द्वारा चुकाये गये अंशदान के बदले देता है। अतः यह कोई दान नहीं है।

(viii) घटना के घटित होने पर भुगतान— बीमा में सामान्यतया एक निश्चित अवधि या घटना के घटित होने के पश्चात् बीमित व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों या नामित व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। जीवन बीमा में बीमा की परिपक्वता या व्यक्ति की मृत्यु पर तथा अग्नि एवं सामुद्रिक बीमा में बीमित घटना के कारण नुकसान होने पर ही भुगतान किया जाता है।

(ix) बीमा एक प्रक्रिया है— बीमा ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत बीमा कम्पनी ऐसे कदम उठाती है, जिससे निश्चितता स्थापित की जा सके। इसीलिए ही बीमा को अनिश्चितताओं के स्थान पर निश्चितता स्थापित करने की प्रक्रिया कहा गया है।

(x) बचत की भावना— बीमा करवाने पर व्यक्ति को समयानुसार प्रिमियम का भुगतान करना पड़ता है, जिससे व्यक्ति में बचत की भावना का विकास होता है।

(xi) विभिन्न तत्वों का समावेश— बीमा में कई तत्व निहित होते हैं, जैसे—बीमाकर्ता, बीमित, बीमा पॉलिसी या शर्तें, प्रिमियम आदि।

(xii) विस्तृत क्षेत्र— बीमा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें मुख्यतया जीवन बीमा, अग्नि बीमा, दुर्घटना बीमा, सामुद्रिक बीमा, कृषि बीमा, पशु बीमा, चिकित्सा बीमा,

चोरी बीमा आदि सम्मिलित हैं।

बीमा की उपयोगिता— जीवन में जितनी अधिक अनिश्चितताएं एवं जोखिम हैं, बीमा का महत्व उतना ही अधिक हो जाता है। आज समाज के सभी वर्गों के लिए बीमा एक अनिवार्य आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा आम जनता के लिए बहुत कम प्रिमियम पर बीमा सुविधा प्रदान की गई है। बीमा की उपादेयता का निम्न दृष्टिकोणों से अध्ययन कर सकते हैं—

1. वैयक्तिक एवं पारिवारिक दृष्टि से उपयोगिता

- जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा
- बचत एवं विनियोग की भावना का विकास
- कार्यक्षमता में वृद्धि
- भविष्य की आवश्यकताओं का नियोजन
- करों में छूट
- सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता

2. व्यवसायिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता

- जोखिमों से सुरक्षा
- पूंजी एवं साख की सुविधा
- अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन को प्रोत्साहन
- विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन
- आर्थिक स्थायित्व

3. समाजिक दृष्टि से उपयोगिता

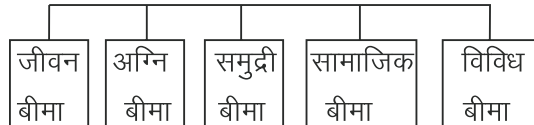
- पारिवारिक जीवन में स्थिरता एवं खुशहाली
- जोखिम का विभाजन
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- शिक्षा को बढ़ावा
- करों में छूट
- आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में योगदान

4. राष्ट्रीय दृष्टि से उपयोगिता

- राष्ट्रीय बचत में वृद्धि
- विदेशी व्यापार में सहायक
- कर्मचारी कल्याण में वृद्धि
- मुद्रास्फीति पर नियंत्रण
- राष्ट्रीय आय में वृद्धि
- पूंजी का अनुकूलतम उपयोग

बीमा के प्रकार— आधुनिक समय में बीमा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। जोखिम से सम्बंधित सभी क्षेत्रों का बीमा करवाया जा सकता है। भारत एक विकासशील देश है तथा विकसित होने की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। जो देश जितना अधिक विकसित है, वहां उतने ही अधिक बीमा के प्रकार प्रचलन में हैं। बीमा की प्रकृति के आधार पर बीमा को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:—

बीमा



बीमा से सम्बंधित महत्वपूर्ण शब्दावली

- **बीमाकर्ता—** वह व्यक्ति या संस्था जो बीमित को अंशदान स्वीकार करके जोखिमों से होने वाली क्षति की पूर्ति करने का वचन देता है।
- **बीमित—** वह व्यक्ति जो बीमाकर्ता को अंशदान (प्रीमियम) का भुगतान कर बीमा की विषयवस्तु को जोखिम होने पर वचन प्राप्त करता है तथा क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार रखता है।
- **बीमा की विषयवस्तु—** जिस सम्पत्ति या जीवन का बीमा किया जाता है, वह बीमा की विषयवस्तु कहलाती है।
- **बीमा राशि —** बीमा अनुबन्ध द्वारा निर्धारित वह अधिकतम राशि जो बीमाकृत घटना के घटित होने पर या निर्धारित अवधि के समाप्त होने पर बीमित या उसके उत्तराधिकारी को क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की जानी है।
- **प्रीमियम—** बीमित द्वारा बीमाकर्ता को दिया जाने वाला अंशदान, जिसके बदले उसे हानि से सुरक्षा का वचन मिलता है, प्रीमियम या अंशदान कहलाता है।

(इ) भण्डारण

व्यापार में सहायक क्रियाओं में भण्डारण का विशेष महत्व है। जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है, उसको संग्रहित कर उसका भण्डार करने से व्यापार में लाभ की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन भण्डारण करते समय उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है तथा समय के साथ उस वस्तु की उपलब्धता भी निश्चित करनी होती है।

(ई) परिवहन

उत्पादन की गई सभी वस्तुओं का उपयोग उत्पादन केन्द्रों या उनके निकटवर्ती स्थानों पर संभव नहीं होता है। इसलिए उत्पादित वस्तुओं को उनके उत्पादन केन्द्रों से उन स्थानों तक पहुंचाना होता है, जहां उनकी मांग है। उत्पादित वस्तुओं को इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने से सम्बंधित कार्य को परिवहन कहते हैं। परिवहन में किराया आधारित सेवाएं एवं उनकी समर्थक व सहायक सेवाएं सम्मिलित हैं, जो परिवहन के सभी माध्यम अर्थात् रेल, सड़क, वायु परिवहन एवं समुद्री वाहन द्वारा माल एवं यात्रियों को ढोने से सम्बंधित है। इनकी सेवाएं व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धा के इस युग में व्यावसायिक लेन-देनों के लिए गति अत्यावश्यक है। परिवहन स्थान सम्बंधी बाधाओं को दूर कर स्थान उपयोगिता का सृजन करता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवहन प्रणाली को विकसित करना है, इस हेतु हमें और अच्छी, चौड़ी व बेहतर रेल सड़कों की आवश्यकता है, साथ ही रेल मार्ग को भी ओर बेहतर बनाने की आवश्यकता है। हमारे देश में बन्दरगाह भी कम हैं तथा इन बन्दरगाहों में भी भीड़ है। इसके अलावा आंतरिक जल परिवहन भी बहुत कम है। अतः सरकार एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सक्रिय हो जाना चाहिए तथा यह समझना चाहिए कि परिवहन सेवा का प्रभावी संचालन व्यवसाय के लिए जीवन रेखा का काम करता है। कृषि, खाद्य एवं निर्माण क्षेत्रों में परिवहन के दौरान उत्पादों की भारी हानि होती है। इस ओर ध्यान देकर परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना होगा। अध्ययन की सुविधानुसार परिवहन का अध्ययन निम्न वर्गों में बांटकर किया जा सकता है—

1. भू- परिवहन—सड़क परिवहन, रेल परिवहन
2. वायु परिवहन—हवाई जहाज
3. जल परिवहन—जहाजरानी परिवहन, आन्तरिक जल परिवहन

(उ) संचार

अपने भावों, विचारों, संदेशों एवं सूचनाओं को दूसरे तक प्रेषित करना संचार कहलाता है। कम्प्यूटर व इन्टरनेट मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर संचार का सशक्त माध्यम बन चुका है। आज कम्प्यूटर व इन्टरनेट का महत्व इतना अधिक हो गया है कि मानव जीवन की प्रत्येक

गतिविधियां एवं कार्य अपने स्वयं से भी अधिक कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट द्वारा सम्पादित किये जा रहे हैं। सही संचार के लिए यह आवश्यक है कि संदेश प्राप्तकर्ता व्यक्ति उस संदेश का वही अर्थ समझे जो कि संदेशदाता का है। साथ ही संदेश के महत्व के अनुसार उसे उचित समय पर प्रेषण भी संचार के मुख्य उद्देश्य के अन्तर्गत आता है।

संचार के साधन— संचार के साधनों को अध्ययन की सुविधानुसार दो वर्गों में बांटा जा सकता है।— (क) डाकघर सेवाएं (ख) शीघ्र संचार के साधन।

(क) डाकघर सेवाएं— डाकघर दूरस्थ स्थानों पर संदेश के साथ वस्तुएँ एवं धन प्रेषण की सुविधा भी प्रदान करता है। डाकघर सेवाओं को निम्न तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) समाचार प्रेषण— डाकघर संदेश प्रेषण के लिए निम्न सुविधाएं प्रदान करता है।

i. **पोस्टकार्ड—** कम समाचार तथा गोपनीय प्रकृति के समाचार न होने की स्थिति में पोस्टकार्ड संदेश प्रेषण का सबसे सस्ता व सुलभ माध्यम है। वर्तमान में मात्र 50 पैसे देकर इसे किसी भी डाकघर से प्राप्त किया जा सकता है।

ii. **मुद्रित पोस्टकार्ड—** इस तरह के पोस्टकार्ड का उपयोग मुख्यतया व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक संस्थाएं अपने विज्ञापन हेतु स्वयं के पोस्टकार्ड छपवा सकती हैं। इस पोस्टकार्ड पर नियमानुसार डाक टिकट लगाना पड़ता है। प्रतियोगिता पोस्टकार्ड भी इसी श्रेणी में आते हैं। प्रतियोगिता पोस्टकार्ड भी डाकघर द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं।

iii. **अन्तर्देशीय पत्र —** गोपनीय व अधिक समाचार लिखने हेतु अन्तर्देशीय पत्र की सुविधा उपलब्ध है।

iv. **लिफाफा—** विस्तृत व गोपनीय समाचार अलग कागज पर लिखने के लिए डाक विभाग द्वारा लिफाफे उपलब्ध कराये जाते हैं, जिसका वर्तमान मूल्य 5 रुपए है। यदि लिफाफे में 20 ग्राम से अधिक वजन है तो प्रति 20 ग्राम या उसके भाग के लिए वर्तमान में 5 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। व्यक्तियों तथा व्यावसायिक संस्थानों द्वारा स्वयं के मुद्रित लिफाफे भी काम में लिये जाते हैं। अति गोपनीय व महत्वपूर्ण पत्रों, कानूनी एवं व्यापारिक प्रलेखों को सुरक्षित भेजने हेतु

रजिस्टर्ड पत्र की सुविधा भी उपलब्ध है। शीघ्र डाक पहुंचाने हेतु स्पीड पोस्ट सुविधा भी डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसका वर्तमान में न्यूनतम शुल्क 25 रुपए है।

(2) वस्तु प्रेषण— हल्की और मूल्यवान वस्तुएँ जो 20 किलोग्राम तक की हैं, डाक द्वारा प्रेषित की जा सकती हैं। इन्हें पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों प्रकार से भेज सकते हैं। इसका शुल्क पार्सल के वजन के आधार पर तय है। इन वस्तुओं का कुछ अतिरिक्त शुल्क देकर बीमा भी करवाने की सुविधा डाकघर द्वारा उपलब्ध है। बुक—पोस्ट के माध्यम से मुद्रित पुस्तकें, पत्र—पत्रिकाएँ, नमूने के पैकेट आदि रियायती दर पर भेजने की सुविधा भी प्रदान की गयी है। यदि पार्सल प्राप्तकर्ता से उस वस्तु की कीमत भी माल सुपुर्दगी के समय वसूल करनी है तो इसे वी.पी.पी. के माध्यम से भेजा जा सकता है। वर्तमान में वस्तुओं के प्रेषण में कूरियर सेवाओं वाला काम भी किया जा रहा है।

(3) धन प्रेषण— डाकघर द्वारा धनप्रेषण के लिए मनीऑर्डर, पोस्टल—ऑर्डर तथा बीमा—पत्र की सुविधा प्रदान की जाती है।

(ख) शीघ्र संचार के साधन

1. टेलीग्राम या तार — कुछ समय पहले तक कोई भी संदेश लिखित माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीग्राम (तार) द्वारा भेजे जाते थे। यह साधारण तथा शीघ्र दोनों प्रकार के होते थे। शीघ्र तार का शुल्क साधारण तार से दुगुना होता था लेकिन वर्तमान में अत्याधुनिक तकनीकों के विकास हो जाने के फलस्वरूप इसे पूर्णरूपेण समाप्त कर दिया है।

2. टेलिफोन— इस यंत्र की सहायता से घर बैठे देश व विदेश के किसी भी व्यक्ति से बात की जा सकती है। दूर संचार कम्पनियां यह सुविधाएं सशुल्क उपलब्ध कराती हैं। आज संचार क्रान्ति ने मोबाईल फोन की सुविधा प्रदान की है। ये फोन तारविहीन होते हैं। अतः चलते—फिरते किसी भी स्थान पर बात की जा सकती है। मोबाईल से इंटरनेट, बेबसाईट, ई—मेल आदि कई अत्याधुनिक सुविधाओं के होने से संचार क्षेत्र में नई क्रान्ति का सूत्रपात हुआ है।

3. फैक्स— यह टेलिफोन लाईन से जुड़ा एक छोटा सा यंत्र होता है जो किसी पत्र पर लिखित, मुद्रित एवं चित्रित संदेश टेलिफोन लाईन की सहायता से कुछ ही क्षणों में दूसरे स्थान

पर प्रेषित किया जा सकता है। भेजे गये स्थान पर स्थित फ़ैक्स मशीन उसे पुनः उसी रूप में मुद्रित एवं चित्रित कर देती है।

4. इन्टरनेट— आज के इस युग में इन्टरनेट का महत्व बहुत बढ़ गया है। आज छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत का सर्वोत्तम विकल्प इन्टरनेट है। चाहे पत्र लिखना हो, अपने किसी परिचित से बात करनी हो, या किसी पुस्तक का क्रयादेश देना हो, इन्टरनेट हमेशा तैयार रहता है लेकिन वास्तव में यह है क्या? वस्तुतः यह एक नेटवर्क का जाल या नेटवर्क है। यह दुनियाभर के कम्प्यूटरों को मॉडम के द्वारा एक सूत्र में पिरोता है और एक-दूसरे से जोड़ता है। माउस की सहायता से तुरन्त वांछित बिन्दु पर पहुंचा जा सकता है। आज भी कम्पनियां या सरकारी संस्थान स्वयं की वेबसाइट के रूप में इन्टरनेट पर उपलब्ध हैं। इसी से अन्दाज लगाया जा सकता है कि इन्टरनेट कितना महत्वपूर्ण है। कुछ ही समय में इन्टरनेट पर लाखों वेबसाइटें खुल चुकी हैं।

4.1 वेबसाइट क्या है—वास्तव में इन्टरनेट सूचनाओं का भण्डार है लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप इस भण्डार से किसी भी प्रकार की सूचना सीधी प्राप्त कर सकते हैं। यहां वेबसाइट एक माध्यम है। कम्प्यूटर पर कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो आप उससे सम्बंधित अध्याय अर्थात् साइट का नाम अंकित करें, जैसे अगर आपको पर्यावरण के क्षेत्र में देखना हो तो आप <http://www.envi.com> टाईप करें, सीधे वहाँ पहुंचा जाता है और वह मॉनिटर पर उपलब्ध होगी।

5. ई-मेल— ई-मेल अब बहुत ही लोकप्रिय हो चुकी है तथा छोटे से बड़े सभी इसके नाम से परिचित हो गये हैं। यह सुविधा अब कई वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है। इससे दुनिया के किसी भी कोने में क्षण भर में अपना संदेश या पत्र इसके द्वारा भेजा एवं प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि दोनों व्यक्तियों के पास एक ही वेबसाइट का पता हो। किसी वेबसाइट से किसी अन्य वेबसाइट पर पत्र भेजा एवं प्राप्त किया जा सकता है। कुछ वेबसाइट यथा—yahoo, Google, indiya हैं, जो दुनिया को ई-मेल की निःशुल्क सुविधा प्रदान करा रही हैं। आजकल तो कुछ देशों में सारा पत्र-व्यवहार इसके द्वारा ही हो रहा है। पुस्तकालय में प्राप्त नहीं होने वाली पत्रिकाओं या पत्रिकाओं के क्रयादेश, बीजक मंगवाना, यहाँ तक कि पुस्तकों का क्रय-विक्रय भी

इसके द्वारा होने लगा है।

6. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग—कम्प्यूटर द्वारा ऑनलाईन बातचीत से विभिन्न देशों में बैठे हुए समान रुचि वाले व्यक्तियों के बीच आपस में संचार सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाईन बातचीत का अवसर प्रदान करने वाली किसी भी साइट को खोलकर कोई भी व्यक्ति माउस की सहायता से अपने संदेश, प्रश्नोत्तर अवलोकन, विचार आदि को टाईप कर सकता है। यह बातचीत स्क्रीन पर दिखाई देती है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भी भाग ले सकते हैं। अर्थात् इस पर संगोष्ठी भी की जा सकती है। टी.वी या मॉनीटर पर जुड़कर आमने-सामने बात भी हो सकती है।

(ऊ) कम्प्यूटर :- सूचना प्रौद्योगिकी

1. परिचय— आज से लगभग 55 वर्ष पूर्व किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि सूचना तकनीकी के क्षेत्र में इतना विकास होगा कि मानव इस पर निर्भर हो जायेगा। आज मानव कम्प्यूटर के अभाव में अपने आपको अधूरा समझता है। कम्प्यूटर पर उसे वह सब कुछ प्राप्त होता है जो उसे चाहिए। अर्थात् उसे भूत, वर्तमान व भविष्य आदि सभी की जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसके लिए उसे कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होती।

आज वैज्ञानिकों ने सूचना तकनीकी व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इतना विकास कर लिया है कि हवाई जहाज, उपग्रह, मौसम की जानकारी यहां तक कि डॉक्टरों को बीमारी व ऑपरेशन के बारे में भी सारी जानकारी कम्प्यूटर के द्वारा प्राप्त होती है। वस्तु को क्रय व विक्रय करने के आदेश भी आज ई-कॉमर्स द्वारा होने लगे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में व्यक्ति को व्यक्ति के पास आने की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि उसका सारा काम कम्प्यूटर ही कर देगा। कम्प्यूटर से जुड़ी हुई सूचना प्रणाली संचार का अनूठा माध्यम हो गयी है। कम्प्यूटर डिस्कट, सी.डी. रोम, मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन, इन्टरनेट, ऑनलाईन पत्रिकाएँ, ई-मेल, होम पेज, बुलेटिन बोर्ड प्रणाली, डिजिटल विडियो डिस्क आदि अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। पुस्तकालय में कम्प्यूटर के अनुप्रयोग से पुस्तकालय सेवाएं कम्प्यूटरीकृत

की जाने लगी हैं तथा सेवाएं द्रुतगति से प्रदान की जा रही है।

2.सी.डी.रोम— इसमें सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं कर सकते। इस छोटी सी डिस्क में हजारों पृष्ठों को संग्रहित किया जा सकता है। आजकल अनेकों पुस्तकों, विश्वकोष व पत्रिकाओं की सी.डी. उपलब्ध हैं जिसे कम्प्यूटर पर देख सकते हैं, पढ़ा जा सकता है और उसका प्रिन्ट लिया जा सकता है। यहाँ तक कि सी.डी. टॉवर द्वारा एक से अधिक सी.डी. एक साथ कम्प्यूटर पर पढ़ी जा सकती है। .

3. बहुमाध्यम — बहुमाध्यम शब्द यह बोध कराता है कि इसके द्वारा कई तरीकों से सूचनाओं को देखा, भेजा व प्राप्त किया जा सकता है। पहले के कुछ बहुमाध्यम ये हैं— मुद्रण, रेडियो, टेलीग्राफ, टेलीविजन आदि लेकिन आज के युग में बहुमाध्यम में टेलीविजन, सेटेलाईट, टेप रिकॉर्डर, वीसीडी, सीडी व डिस्क हैं।

बहुमाध्यम वास्तव में संयुक्त रूप से पाठ्यसामग्री, चित्र, दृश्य, श्रव्य, ऐनीमेशन, सिमूलेशन या आपसी सम्पर्क या इंटर एक्टिविटी के कम्प्यूटर के माध्यम से किये जाने वाले उपयोग के रूप में जाना जाता है। इससे प्रयोगकर्ता आपस में सम्पर्क कर सकते हैं और कुछ नया सृजित कर सकते हैं।

(ए) सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र को हम मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

(क) व्यावसायिक सेवाएं— इसके तहत बैंकिंग, बीमा, परिवहन और संचार एवं प्रौद्योगिकी सेवाएं आती हैं, जिनका वर्णन पूर्व में कर चुके हैं।

(ख) सामाजिक सेवाएं — ये सेवाएं कुछ सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से प्रदान की जाती हैं। जैसे— समाज के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, उनके बच्चों की शिक्षा व पोषण की व्यवस्था करना तथा कच्ची बस्तियों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्य करना। साधारणतः ये सेवाएं स्वेच्छिक संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो इसके बदले कुछ राशि लेते हैं ताकि वे लागत पूरी कर सकें। उदाहरणतः कुछ गैर—सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ)

एवं सरकारी एजेंसियों के द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वच्छता सम्बन्धी सेवाएँ।

(ग) व्यक्तिगत सेवाएं — वर्तमान समय कड़ी प्रतियोगिता का युग है अर्थात् जो सर्वथा योग्य है, वही टिक पाता है। ये वे सेवाएँ हैं जिनका अनुभव विभिन्न ग्राहकों द्वारा अलग—अलग तरीके से होता है। इनमें एकरूपता का अभाव होता है। ये सेवा प्रदाता के अनुसार भिन्न—भिन्न होती हैं। साथ ही ये ग्राहकों की पसन्द एवं आवश्यकता पर भी निर्भर करती हैं। इसके उदाहरण हैं— पर्यटन, जलपान गृह एवं मनोरंजन सेवाएं आदि।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. मानवीय क्रियाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है— गैर आर्थिक क्रियाएं एवं आर्थिक क्रियाएं।
2. मानव की आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं — वृत्ति या पेशा, नौकरी एवं व्यवसाय।
3. वे सभी मानवीय आर्थिक क्रियाएं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण से सम्बंधित हैं तथा जिनका उद्देश्य पारस्परिक हित एवं संतुष्टि है, व्यवसाय कहलाती है।
4. समाज के विभिन्न वर्गों को संतुष्ट रखने के लिए व्यवसाय— लाभ उद्देश्य, सेवा उद्देश्य एवं मानवीय उद्देश्य को ध्यान में रखकर कार्य करता है।
5. व्यावसायिक क्रियाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है— प्रथम वर्ग में उत्पादन सम्बंधी क्रियाओं को उद्योग तथा द्वितीय वर्ग में वितरण सम्बंधी क्रियाओं को वाणिज्य कहा जाता है।
6. भौतिक संसाधनों के प्रयोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाली वस्तुओं का उत्पादन करना ही उद्योग है।
7. उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं के निरन्तर एवं निर्विघ्न प्रवाह हेतु की जाने वाली सभी क्रियाएं वाणिज्य में सम्मिलित की जाती हैं। वाणिज्य से सम्बंधित क्रियाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है— व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाएं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. किसी व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए—
(अ) अधिकतम लाभ कमाना
(ब) केवल सेवा करना
(स) संस्था के कर्मचारियों का कल्याण करना
(द) ग्राहक संतुष्टि द्वारा समाज सेवा करते हुए लाभ कमाना
2. व्यापार का आशय है—
(अ) वस्तुओं का निर्माण
(ब) वस्तुओं का क्रय-विक्रय
(स) वस्तुओं का विज्ञापन
(द) कोई भी आर्थिक क्रिया
3. व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है—
(अ) वस्तुओं का उत्पादन (ब) सेवाओं का वितरण
(स) वस्तुओं का वितरण
(द) वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण
4. निम्नलिखित में से सही नहीं है—
(अ) व्यापार का सम्बन्ध वस्तुओं के क्रय-विक्रय से है।
(ब) वाणिज्य व्यवसाय का अंग है।
(स) व्यवसाय उद्योग का अंग है।
(द) व्यापार को सुगम बनाने वाली क्रियाओं को व्यापार की सहायक क्रियाएं कहते हैं।
5. प्राचीन काल में भारत में मन्दिर स्वर्ण जड़ित बनवाये जाते थे क्योंकि—
(अ) उस समय यह परम्परा प्रचलित थी।
(ब) भारत के व्यापारी विदेशों में माल बेचकर स्वर्ण व स्वर्ण मुद्रायें लेकर आते थे।
(स) भक्तों को स्वर्ण मन्दिर प्रिय थे।
(द) स्वर्ण मन्दिर दिखने में सुन्दर लगते थे।
6. बैंक के प्रमुख कार्य हैं—
(अ) ऋण देना
(ब) जमा स्वीकार करना
(स) जमायें स्वीकार करना व ऋण देना
(द) व्यापार करना।

7. क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त लागू नहीं होता है—
(अ) समुद्री बीमा में (ब) वाहन बीमा में
(स) जीवन बीमा में (द) अग्नि बीमा में
8. विनियोग तत्व होता है—
(अ) समुद्री बीमा में (ब) जीवन बीमा में
(स) अग्नि बीमा में (द) फसल बीमा में
9. बीमा अनुबन्ध में परम सद्विश्वास से आशय है—
(अ) बीमा पत्र की शर्तों में विश्वास
(ब) बीमित का बीमा कम्पनी में विश्वास
(स) बीमित एवं बीमाकर्ता में परस्पर विश्वास
(द) बीमित का बीमित वस्तु के महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटीकरण
10. निम्न में से कौनसा साधन मुद्रित एवं चित्रित संदेश को उसी रूप में भेजने का श्रेष्ठ साधन है—
(अ) टेलिफोन
(ब) तार
(स) टैलेक्स
(द) फैक्स

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1. व्यवसाय से क्या आशा है?
2. वृत्ति या पेशा का अर्थ बताइए।
3. निम्नलिखित क्रियाओं का उद्योग के किस वर्ग से सम्बन्ध है—

क्रिया

उद्योग

समुद्र से मछली पकड़ना —————

कपड़ा बुनना —————

पशु-पालन —————

बांध का निर्माण —————

4. दूरी सम्बंधी बाधा किस सहयोगी क्रिया से दूर की जा सकती है?
5. जोखिम सम्बंधी बाधा को दूर करने के लिए किस सहायक क्रिया का सहयोग लिया जाता है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. व्यवसाय की कोई चार विशेषताएं बताइए।
2. वाणिज्य में कौनसी गतिविधियां सम्मिलित हैं?
3. व्यापार वाणिज्य से किस प्रकार भिन्न है?
4. कार्य की प्रकृति के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताइए।
5. व्यवसाय के उद्देश्य की कोई चार क्रियाएं बताईये।
6. मानवीय उद्देश्य की कोई चार क्रियाएं बताईये।
7. परिवहन कितने प्रकार के हैं?

निबन्धात्मक प्रश्न

1. व्यवसाय का अर्थ समझाइए और उसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
2. व्यवसाय के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? व्यवसाय के उद्देश्यों को विस्तार से समझाइए।

3. व्यवसाय के क्षेत्र पर एक निबन्ध लिखिए।
4. व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
5. उद्योग से क्या आशय है? उद्योगों के विभिन्न प्रकार बताइए।
6. बैंकों के प्रकार पर संक्षिप्त विवरण दीजिए।
7. चेक किसे कहते हैं तथा चेक के आवश्यक तत्व बताइए।
8. संचार के साधनों का वर्णन कीजिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. (द) 2. (ब) 3. (द) 4. (स) 5. (ब)
6. (स) 7. (स) 8. (ब) 9. (स) 10. (द)